करार सं0

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुश्रवण कक्ष

स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के बीच सांझी अवसंरचना की साझेदार (तर्क संगत विभाजन के साथ सांझा ईपीएबीएक्स की साझेदारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी ओएसपी केंद्र)

के लिए

करार

कुल पृष्ठ ....

567

स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के
बीच सांझी अवसंरचना की साझेदारी के लिए
करार

यह करार .... (माह) के .... (दिन) .... (वर्ष) को प्रथम पक्षकार भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यरत श्री .... उप महानिदेशक/निदेशक, टीईआरएम सेल (.........), दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), भारत सरकार .... (कार्यालय पता) (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी " कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितो सहित संदर्भ के संमंध में जब तक प्रतिकूल न हो)

और

द्वितीय पक्षकार मै0 ...., कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, की ओर से कार्यरत श्री, ... प्राधिकृत सिग्नेटरी (जिसे इसके बाद "ओएसपी " कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारियों, प्रशासकों, परिसमापकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुमत्य समनुदेशितो सहित संदर्भ के संबंध में जब तक पतिकूल नहीं होगी) के बीच किया जाता है।

(i) जबकि दूरसंचारविभाग के पास भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी अनुदेश के अधीन ओएसपी को पंजीकृत करने का प्राधिकार है और जबकि ओएसपी का पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के अनुसार पंजीकरण सं0 .... दिनांक .... के तहत .... स्थान पर स्वदेशी ओएसपी केंद्र स्थापित है/स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ii) और जबकि ओएसपी का पंजीकरण के निबअंधन और शर्तों के अनुसार पंजीकरण सं0 .... दिनांक .... के तहत .... स्थान पर अंतराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र है/स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(iii) और अब जबकि ओएसपी ने अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी ओएसपी केंदों के बीच साझी अवसंरचना की साझेदारी के लिए अनुरोध किया है।

तदनन्तर और कथित अनुरोध के अनुसरण में प्राधिकारी ने इसके साथ संलग्न सूची में यथा वर्णित अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी के लिए निबंधन और शर्तों के अनुसार ओएसपी (जिसे इसके बाद "सुविधा " काह गया है) के स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केद्रों के बीच साझा अवसरंचना सुविधा की साझेदारी के लिए ओएसपी को पंजीकृत करने की सहमति दे दी है।

पक्षकार अब निम्नलिखित अनुसार सहमत हैं :

1. ऐसी सुविधा (स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच सांझी अवसंरचना की साझेदारी के लिए) का पंजीकरण 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यह अवधि समाप्त हो जाने के बाद इसकी अवधि में अधिकतम 3 वर्ष का और विस्तार किया जा सकता है।

566

2. पंजीकरण इस कारा पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और करार, पंजीकरण की वैधता अवधि तक वैध बना रहेगा।

3. ओएसपी की एतद्द्वारा इसके साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न सूची में यथा वर्णित सभी निबंधन और शर्तों का पूर्णरूपेण अनुपालन करने की स्पष्टः वचनबद्धता और सहमति है और यह इसके पश्चात ओएसपी पर बाध्यकारी होगा।

4. स्वदेशी ओएसपी केंद्र और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र एक ही कंपनी से संबद्ध होंगे।

5. ओएसपी न्यूनतम 50 सीटों वाला काल सेंटर संस्थापित करेगा।

6. ओएसपी उपस्कर के विक्रेताओं से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि साफ्टवेयर स्वदेशी ओएसपी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए दो अलग-अलग और स्वतंत्र परिवेश में सांझी अवसंरचना का तर्कसंगत विभाजन के लिए सक्षम है।

7. ओएसपी स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों के कार्यकलापों के बीच पूर्ण तर्कसंगत पृथक्कीकरण कायम रखने के लिए सहमत है। स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच कोई भी वायस परियात का प्रवाह नहीं होगा और प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाईपास नहीं किया जाएगा।

8. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली का अभिलेख (टैम्पर प्रूफ) रद्दोबदल करने लायक न हो और प्रणाली अभिलेख न्यूनतम छह माह के लिए सुरक्षित रहे। प्राधिकारी के पास इन प्रणाली अभिलेखों की मांग होने पर पूछताछ करने और साइट का निरीक्षण भी करने का अधिकार सुरक्षित हो।

9. ओएसपी निर्धारित प्रपत्र मे ऐसे पंजीकरण की अवधि के लिए दूरसंचार विभाग के पक्ष में 1 करोड़ रु0 (एक करोड़ रु0) बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।

10. 3 वर्ष की समाप्ति के बाद पंजीकरण अवधि के विस्तार के लिए ओएसपी अवधि की समाप्ति की तारीख से 60 दिन पहले बैंक गारंटी की विस्तारित अवधि के साथ अवधि विस्तार के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर पंजीकरण बिना नोटिस दिए रद्द कर दिया जाएगा।

11. प्राधिकारी के पास, आवधिक रूप से लेखा परीक्षा करने अथवा जब कभी भी वह ऐसा करना चाहे, अधिकार सुरक्षित हों।

12. प्राधिकारी के पास अपनी संतुष्टि के लिए अभिज्ञात इसके स परिश्ष्ट के रूप में संलग्न अनुसूची में अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी के किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन होने के मामले में प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अधिकार होगा। ओएसपी सम्मिलित किसी एक परन्तु इसमें यह कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, द्वारा कथित निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किए जाने के लिए जिम्मेवार होगा। प्राधिकारी के पास ओएसपी द्वारा धारित पंजीकरण के निरस्तीकरण को शामिल करते हुए समुचित कार्रवाई के लिए अधिकार सुरक्षित होगा और कंपनी ऐसे पंजीकरण के निरस्तीकरण की तरीख से तीन वर्ष के लिए ओएसपी पंजीकरण लेने से वंचित होगी।

13. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ओएसपी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ओएसपी पंजीकरण लेने से 3 वर्ष के लिए निकाल दिया जाएगा।

14. ओएसपी सहमत है कि उपर्युक्त प्रस्तुत कोई भी सूचना यदि गलत अथवा झेठी पाई जाने पर ओएसपी किसी दंडात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम जैसा विधि में निर्धारित हो अथवा अन्यथा अधिपत्र निर्धारित हो, के लिए जिम्मेवार होगा।

पक्षकार जिनके अभिशाक्ष्य में .... (दिन) .... (माह) .... (वर्ष) को उनके संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए यह करार निष्पादि हुआ।

हस्ताक्षरित कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से

के द्वारा

श्री ....

(नाम और पदनाम) उपमहानिदेशक टीई आरएम सेल ....

हस्ताक्षरित ....

दिनांक ....

मैसर्स ....

की ओर से..................................

के द्वारा ....

के द्वारा

श्री ....

(नाम और पदनाम), प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पारित .... दिनांक .... संकल्प संख्या ......के अनुसरण में दिनांक .... के निष्पादित जेनरल पावर ऑफ अटार्नी धारक

साक्ष्य की उपस्थिति में :

1. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय पता स्थान

1. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय पता स्थान

570

अनुसूची

निबंधन और शर्तें - अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी

अध्याय-I : **प्रारंभिक**

1 : परिभाषाएं

अध्याय-II : **स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें**

1. सामान्य शर्तें
2. पंजीकरण के निबंधन और शर्तों में परिशोधन
3. पंजीकरण के अंतरण पर प्रतिबंध
4. सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता
5. पंजीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण अथवा परिसमापन
6. पंजीकरण के निरस्तीकरण के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां

अध्याय-III **स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु तकनीकी शर्तें**

1. ओएसपी प्रचालन के लिए निबंधन और शर्तें
2. ओएसपी केंद्र के आपदा प्रबंधन के लिए निबंधन और शर्तें
3. स्वदेशी ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन और शर्तें
4. अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन और शर्तें

अध्याय iv **स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के बीच सांझी अवसंरचना की साझेदारी के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें**

1. सामान्य शर्तें
2. अवसंरचना और बैंक गांरटी की साझेदारी के लिए पंजीकरण की अवधि
3. अवसंरचना की साझेदारी के लिए पंजीकरण का विस्तार
4. अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी अथवा स्वदेशी ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी के लिए तकनीकी निबंधन और शर्तें

(क) **विकल्पः-1**
एक ही प्रचालक पोजीशन की साझेदारी से अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी ओसपी केंद्रों के लिए प्रयुक्त होने वाला पृथक और स्वतंत्र ईपीएबीएक्स

(ख) **विकल्पः- 2**
तर्कसंगत भागों में बांटकर सामान्य ईपीएबीएक्स की साझेदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी ओएसपी केन्द्र

5. घर से काम

अध्याय- v **सुरक्षा शर्तें**

1. निरीक्षण का अधिकार
2. ओएसपी द्वारा कतिपय गतिविधियों की रोक
3. सुरक्षा शर्तें

अध्याय-vi **विविध**

1. सामान्य
2. पंचाट

521

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. परिभाषाएं इस भाग में, संदर्भ जब तक अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) "अनुप्रयोग सेवाओं" का अभिप्राय प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त दूरसंचार संसाधनों का प्रयोग करके टेली-बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कामर्स, कालसेंटर, नेटवर्क प्रचालन केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं जैसी सेवाएं प्रदान करने से है।

(ख) 'अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) का तात्पर्य अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी से है।

(ग) 'ओएसपी केंद्र' का अभिप्राय अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने के लिए ओएसपी द्वारा प्रयुक्त भारत में किसी स्थान पर अवस्थित अवसंरचना से है।

(घ) "दूरसंचार संसाधन" का अभिप्राय ओएसपी द्वारा प्रयुक्त दूरसंचार सुविधाओं से है जिसमें भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन वैध लाइसेंस रखने वाले प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त बैंड विड्थ अथवा/और पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन), पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन), इन्टीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) भी शामिल हैं परन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(ङ) 'कंपनी' का अभिप्राय भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी से है जिसमें विदेश विनिमय प्रबंधन विनियमन के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत विदेशी कंपनियों और भारत में किसी स्थान पर व्यवसाय संस्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग- xi (धारा 591 से 608 तक) के अधीन पंजीकृत विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं ।

(च) 'स्वदेशी ओएसपी' का अभिप्राय राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाले ओएसपी से है।

(छ) 'अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी' का अभिप्राय राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाले ओएसपी से है।

(ज) 'पाइंट आफ प्रजेन्स (पीओपी) एक स्थान होता है जहां ओएसपी अनुप्रयोग सेवाओं से संबंधित दूरसंचार परियात के संकलन और संवहन के लिए ओएसपी केंद्र के विस्तार के रूप में कार्य करने के लिए उपस्कर रखता है।

(झ) 'हाट साइट्स' का अभिप्राय दूरसंचार विभाग में विधिवत पंजीकृत या तो एक ही कंपनी के अथवा किसी तीसरी पार्टी के स्टैण्डबाई ओएसपी केंद्र से है जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है और वह किसी आपदा अथवा प्रचालन बंद हो जाने की स्थिति में कार्यरत ओएसपी केंद्र के प्रचालन को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहता है।

(ञ) 'प्राधिकरण का अभिप्राय दूरसंचार विभाग अथवा इसका निर्दिष्ट क्षेत्रीय यूनिटों (बीटीएस यूनिटों) से है।

572

अध्याय-II

स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें

1. सामान्य शर्तें

(1) अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी कंपनी को पंजीकरण की मंजूरी दी जा सकती है। ये सेवा प्रदाता अन्य प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्विच्ड टेलीफोनी सेवा प्रदान नहीं करेंगे।

(2) पंजीकरण चाहने वाले ओएसपी पर निम्नलिखित भी लागू होंगे:-

(I) ओएसपी पंजीकरण के लिए पात्र निकायों को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी होना अनिवार्य है।

(II) कंपनी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये प्रपत्र में पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन पत्र दे सकती है। (प्राधिकारियों की सूची आवेदन पत्र के प्रपत्र के साथ संलग्न है)।

(III) प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजः

(क) अनिवार्य दस्तावेज

(I) कंपनी के पंजीयक द्वारा जारी किया गया निगमन प्रमाण पत्र

(2) संगम अनुच्छेद और ज्ञापन

(3) बोर्ड का संकल्प अथवा सत्यापित हस्ताक्षर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने वाला पावर आफॅ अटार्नी

(4) प्रस्तावित ओएसपी के व्यवसाय और कार्यकलापों के स्वरूप पर टिप्पणी

(ख) यदि अनिवार्य दस्तावेजों से वास्तविक सूचना भिन्न है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5. कंपनी के वर्तमान निदेशकों की सूची

6. इक्विटी ब्यौरों (विदेशी इक्विटी और भारतीय इक्विटी) को दर्शाते हुए कंपनी की वर्तमान शेयरधारिता का पैटर्न ।

सभी दस्तावेजों का कंपनी सचिव अथवा कंपनी के निदेशक मंडल के किसी एक निदेशक अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक अथवा पब्लिक नोटरी से मुहर के साथ प्रमाणित होना अनिवार्य है।

(iv) पंजीकरण स्थान विशेष का होता है जिससे कंपनी के पास एक से अधिक पंजीकरण हो सकते हैं। ओएसपी केंद्र के स्थान में परिवर्तन की स्थिति में मूल पंजीकरण में संशोधन करना अपेक्षित होगा।

(v) बहु-पंजीकरण हेतुः-

(क) आवेदक कंपनी को बीटीएम/डॉट (मुख्यालय) के अपने उस नजदीकी यूनिट को आवेदन पत्र देना होगा जहां ओएसपी का एक साइट अवस्थित होना प्रस्तावित है।

(ख) अन्य साइट गये निगम के प्रमाण पहले स्थान के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ओएसपी शेष साइटों के लिए संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारियों को आवेदन-पत्र दे सकता है। ऐसे मामलों में ओएसपी द्वारा पहले के लिए प्राप्त ओएसपी पंजीकरण की केवल प्रतिलिपि और कंपनी के पंजीयक द्वारा जारी किये पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती है, यदि इस प्रकार का अनुरोध ओएसपी द्वारा एक वर्ष के भीतर किया जाता है और पूर्ववर्ती प्रस्तुत दस्तावेंजों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वर्ष के पश्चात दस्तावेजों का एक पूरा सेट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) यदि ओएसपी प्वाइंट आफ प्रजेन्स (पीओपी) में कोई परिवर्तन कराने अथवा कोई अन्य पीओपी और स्थापित कराने का प्रस्ताव देता है तो ओएसपी द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराना होगा।

(vii) पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण के संबंधित लेखा अधिकारी के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1000/- रूपये का प्रक्रमण शुल्क देय होता है।

(viii) पंजीकरण की वैधता अवधि इसके जारी होने की तारीख से 20 वर्ष तक की होगी, जब तक कि पंजीकरण पत्र में अन्यथा उल्लिखित न हो।

(ix) यदि उचित समझा जाए तो पंजीकरण की वैधता अवधि में विस्तार किया जा सकता है, यदि ओएसपी पारस्परिक सहमत शर्तों के आधार पर पंजीकरण वर्ष के 19 वें वर्ष के दौरान अनुरोध करना है तो उस पर पंजीकरण की अवधि एक ही बार 10 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अवधि विस्तार की मंजूरी के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(x) जैसा कि पंजीकरण के समय प्रस्तुत प्रपत्र में बताया गया है, यदि कंपनी के नाम अथवा पते में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ओएसपी इसके समर्थन में दस्तावेज के साथ इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा।

2. पंजीकरण के निबंधन और शर्तों में आशोधन

पंजीकरण के निबंधन और शर्तो में किसी भी समय आशोधन करने का अधिकारी प्राधिकरण के पास सुरक्षित है यदि प्राधिकरण के विचार में जनहित में अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अथवा तार सेवा के समुचित संचालन के लिए ऐसा करना समीचीन हो, आवश्यक हो। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा।

3. पंजीकरण के अंतरण पर प्रतिबंध

ओएसपी जैसाकि नीचे वर्णित है, प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से चाहे जो भी हो, इस पंजीकरण का अंतरण अथवा सुपुर्दगी, किसी तीसरे पक्षकार को अथवा उप पट्टा के लिए कोई करार सम्पन्न नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्षकार को सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पंजीकरण के किसी भी विषयवस्तु से संबंधित सहभागिता नहीं करेगा अर्थात् उप-पट्टा/सहभागिता/तीसरा पक्षकार का हित सृजित नहीं होगा। शर्त यह है कि ओएसपी सेवा प्रदान करने के लिए सर्वदा ऐजेन्टों और कर्मचारियों के रोजगार पर रख सकता है अथवा नियुक्त कर सकता है।

4. <u>सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता</u>

(i) ओएसपी समय-समय पर निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार सिस्टम पासवर्डो सहित अन्य सूचना अथवा लेखा, प्राक्कलन, विवरणी, रिपोर्ट जैसे दस्तावेज समयबद्व कार्यक्रम और तरीके से मांग पर प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।

54

(II) ओएसपी पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष पूरा होने के छह माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उसे चल रहे अपने ओएसपी प्रचालन की स्थिति और पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यकलापों का ब्यौरा दर्शाना होगा। प्रचालनात्मक ओएसपी को सक्रिय ओएसपी सूची में रखा जाएगा। लगातार तीन वर्षो तक वार्षिक विवरण न प्रस्तुत करने वाले ओएसपी को निष्क्रिय सूची में रखा जाएगा और दो वर्षो तक निष्क्रिय सूची में रखने के पश्चात उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी।

5. पंजीकरण का निलबंन, निरस्तीकरण अथवा परिसमापन

(i) प्राधिकरण के पास इस पंजीकरण के प्रचालन को किसी भी समय निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, प्राधिकरण के विचार में जनहित में अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अथवा तार सेवा के समुचित संचालन में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो। यदि ऐसी स्थिति आती है तो ओएसपी को टिप्पणियां मांगने के लिए उसे नोटिस जारी करना प्राधिकरण के लिए आवश्यक नहीं होगा और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(II) शर्त यह है कि पूर्वोक्त कार्रवाई के कारण अथवा उससे हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए प्राधिकरण जिम्मेवार नहीं होगा। यह भी शर्त है कि पंजीकरण का निलंबन पंजीकरण की अवधि के विस्तार का कारण अथवा आधार नहीं होगा और निलंबन अवधि को बीती अवधि के रूप में माना जाएगा।

(III) ओएसपी, प्राधिकरण को नोटिस देकर पंजीकरण को वापस कर सकता है।

(iv) पंजीकरण शर्तों को पूरा करने की स्थिति भंग हो जाने की जानकारी प्राधिकरण को शिकायतों के माध्यम से अथवा नियमित निगरानी के फलस्वरूप आ सकती है। प्राधिकरण जब भी उपयुक्त समझे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओएसपी द्वारा पंजीकरण के निबंधन और शर्तो के अनुपालन की स्थिति भंग हुई है, तो स्वतः अथवा शिकायत के आधार पर जांच करा सकता है और इस जांच के आधार पर ओएसपी सभी तर्कसंगत सुविधाओं का विस्तार करेगा और हर किस्म की रूकावटों को दूर करने का प्रयास करेगा

6. **पंजीकरण का निरस्तीकरण करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाइयां**

(i) यदि पंजीकरण करार के अधीन, कोई ऐसा ठोस कारण जाया जाता है जिससे प्राधिकरण को पंजीकरण करार को निरस्त करने के लिए प्राधिकरण को अधिकार मिलता हो तो प्राधिकरण करार में प्रदत्त निबंधन और शर्तो के अनुसार ही कार्रवाई करेगा ।

(ii) पंजीकरण के निरस्त होने अथवा वापस हो जाने अथवा वैध अवधि समाप्त हो जाने पर ओएसपी को बैंक गांरटी की राशि ओएसपी द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किये जाने वाले सभी देयताओं की बेबाकी सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही निर्मुक्त की जाएगी। प्राधिकरण को देय शक्तियों का भुगतान ओएसपी द्वारा न कर पाने के मामले में ओएसपी को कोई और सूचना दिए बिना प्राधिकरण को देय राशियों की वसूली के लिए कोई अन्य कार्रवाई/कार्रवाइयां करने के संबंध मों बिना किसी पूर्वाग्रह के बकाया धनराशि बैंक गांरटी के नकदीकरण के माध्यम से वसूली जाएगी ।

अध्याय III

स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के पंजीकरण के लिए तकनीकी शर्तें

1. ओएसपी प्रचालन के लिए निबंधन और शर्तें

(i) ओएसपी केवल प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता से ही दूरसंचार संसाधन लेगा ।

(2) प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता ओएसपी के संसाधनों की आपूर्ति ओएसपी द्वारा संस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नेटवर्क के नेटवर्क डायग्राम की जांच करने के पश्चात करेगा और ओएसपी उनके इस्तेमाल की नेकनीयती सुनिश्चित करने के पश्चात दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा अनुमोदित नेटवर्क डायग्राम की प्रतिलिपि रिकार्ड और सत्यापन के लिए बीटीएम सेवा को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता और ओएसपी दोनों ही दूरसंचार संसाधनों के प्रयोग में निबंधन और शर्तों के किसी उल्लंघन के प्रति क्रमशः अपने लाइसेंस/पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के अनुसार जिम्मेवार होंगे।

(4) ओएसपी प्राधिकृत इटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है।

(5) ओएसपी को एक कंपनी अथवा कंपनियों के समूह के अन्य कार्यों के साथ दूरसंचार बैंडविड्थ की साझेदारी करने की अनुमति है। तथापि, ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि ओएसपी के लिए दूरसंचार संसाधनों और उनके अन्य कार्यकलापों के लिए दूरसंचार संसाधनों के बीच वैचारिक पृथक्कीकरण होगा।। उनके बीच कोई भी वायस/नान-वायस परियात प्रवाह नहीं होगा।

(6) स्वदेशी ओएसपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी की इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति नहीं है।

2. ओएसपी केंद्र के आपदा प्रबंधन के लिए निबंधन और शर्तें

(i) स्वदेशी ओएसपी, प्राधिकरण को सम्पर्कता के संबंधित विस्तृत ब्यौरा देते हुए आपदा के समय ही पंजीकृत 'हाट साइट' में प्रदत्त समर्पित सर्वरों को कनेक्ट करने की अनुमति है। यही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के लिए अनुमत्य है। तथापि, स्वदेशी ओएसपी और अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी की 'हॉट साइटों' के बीच किसी अंतरसंयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) एक ही कंपनी के स्वदेशी ओएसपी केंद्रों को आपदा के दौरान उपयोग किये जाने वाली सीटों को क्रास मैप की अनुमति है जिनके संबंध में उन्हें प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

(3) उपर्युक्त 2(2) के अनुसार इसी प्रकार की व्यवस्था करने हेतु उसी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच भी करने की अनुमति है।

576

3. घरेलू ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(1) घरेलू ओएसपी को उसी ईपीएबीएक्स पर आउटगोइंग सुविधा वाले पीएसटीएन/पीएलएमएन कनेक्शन को टर्मिनेट करने की अनुमति होगी तथा ऐसी पीएसटीएन/पीएलएमएन लाइनों का उपयोग सामान्य एनएलडी नेटवर्क के ही माध्यम से कॉल करने के लिए किया जाएगा तथा इससे किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक (एनएलडीओ) के न्यायाधिकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इन सुविधाओं के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए तार्किक विभाजन होगा। इनकी उसी केंद्र पर अन्य संपर्कता हो सकती है जैसे-लीज सर्किट एवं आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन)। तथापि, इन पीएसटीएन लाइनों एवं लीज्ड लाइनों के बीच कोई कॉल प्रवाह नहीं होगा।

(2) एक ही कंपनी या कंपनियों के समूह को दो या दो से अधिक ओएसपी केंद्रों की अंतर्संपर्कता की अनुमति होगी।

(3) घरेलू ओएसपी को घरेलू लीज्ड सर्किटों के बैकअप के प्रयोजनार्थ ही एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क(आईएसडीएन) कनेक्शनों को उपयोग करने की अनुमति होगी।

(4) प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह आवधिक रूप से लेखा-परीक्षा कराए। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किन्हीं शर्तों का उल्लधंन हुआ है, तो उसे यह अधिकार होगा कि वह प्रतिभूति जमा को जब्त करने तथा/या पंजीकरण को रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सके।

4. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(1) अंतरराष्ट्रीय ओएसपी को भारत में किसी भी प्रकार की पीएसटीएन संपर्कता की अनुमति नहीं होगी। बाह्य देशों में अंतर्गामी एवं निर्गामी-दोनों प्रकार के कॉलों की सुविधाओं वाले पीएसटीएन संपर्कता की अनुमति नहीं होगी।

(2) एक ही कंपनी या कंपनियों के समूह के दो या दो से अधिक अंतरराष्ट्रीय ओएसपी की अंतर्संपर्कता, ऐसे अंर्तसंपर्क के 15 दिनों की अवधि के भीतर पंजीयन प्राधिकारी को तत्संबंधी सूचना देने पर, की अनुमति होगी।

अध्याय IV

अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी हेतु ओएसपी पंजीकरण की शर्तें

1. सामान्य शर्तें

घरेलू ओएसपी एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी द्वारा अवसंरचना की साझेदारी के लिए प्राधिकारी का पूर्व लिखित अनुमोदन अपेक्षति होगा। ऐसे पंजीकरण की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के बाद दी जा सकती है:-

(क) घरेलू ओएसपी केंद्र और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र एक ही कंपनी से संबद्ध होंगे।

(ख) ओएसपी कम-से-कम 50 सीटों वाले कॉल सेंटर की स्थापना करेगा।

(ग) ओएसपी किसी भी व्यक्ति, जिसमें इसके कर्मचारी भी शामिल हैं लेकिन सिर्फ वे ही शामिल नहीं हैः, के द्वारा ओएसपी की शर्तो का किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह आवधिक रूप से लेखा परीक्षा करा सके।

(ड.) यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसके पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह प्रतिभूति जमा को जब्त करने तथा/या ओएसपी द्वारा धारित पंजीकरण को रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सके तथा इस कंपनी को ऐसे पंजीकरण के रद्द किए जाने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए ओएसपी पंजीकरण से वंचित कर दिया जाएगा।

2. बैंक गारंटी एवं अवसंरचना की साझेदारी हेतु पंजीकरण की अवधिः-

(क) यह पंजीकरण प्रभावी तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, यदि यह किन्हीं कारणों से पहले ही रद्द नहीं कर दिया जाए जैसा कि दस्तावेज में अन्यत्र उल्लिखित है।

(ख) कंपनी ऐसे पंजीकरण की निर्धारित अवधि के लिए, इस अध्याय के मद संख्या 4(क) के अंतर्गत विकल्प 1 के लिए 50 लाख रू. तथा इस अध्याय के मद संख्या 4(ख) के अंतर्गत विकल्प 2 के लिए 1 करोड रू. की प्रतिभूति जमा को बैंक गांरटी के रूप में विशिष्ट आरूप में प्राधिकारी के पक्ष में जमा करेगी। साथ ही, कंपनी प्राधिकारी के साथ विहित आरूप में करार पर हस्ताक्षर करेगी।

(ग) पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन में किसी प्रकार की चूक होने पर प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह बैंक गांरटियों का भुना सके तथा अपनी लागत एवं जोखिम पर ओएसपी को हवाला दिए बिना इसे नकद प्रतिभूति में परिवर्तित करा सके। प्राधिकारी द्वारा नकदीकरण की इस प्रकिया के बाद किसी प्रकार के ब्याज या प्रतिकर, जो भी हो, का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(घ) किसी अन्य प्रतिविधान संबंधी इसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी ओएसपी द्वारा पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है तथा बैंक गांरटी को भुना सकता है।

3. अवसंरचना की साझेदारी हेतु पंजीकरण की अवधि में विस्तार

(क) ऐसी सुविधा के पंजीकरण की अवधि 3 वर्ष की होगी। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर इसे पुनः अधिकतम 3 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

(ख) पंजीकरण की अवधि का विस्तार 3 वर्ष से अधिक करने के लिए, ओएसपी इस अवधि में विस्तार सहित अवधि समाप्त होने के 60 दिन पूर्व बैंक गांरटी की विस्तारित वैधता अवधि के लिए अनुरोध करेगा, ऐसा नहीं किए जाने पर पंजीकरण बिना नोटिस के ही व्यपगत हो जाएगा।

(ग) प्राधिकारी का निर्णय अवधि के विस्तार की मंजूरी हेतु अंतिम होगा।

4. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी हेतु तकनीकी शर्तें

(क) विकल्प-1

(एक ही प्रचालक की स्थिति की साझेदारी वाले अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू ओएसपी केंद्रों के लिए पृथक एवं स्वतंत्र ईपीएबीएक्स का उपयोग किया जाना)

1. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी की अंतर्संपर्कता की अनुमति नहीं है।

2. घरेलू ओएसपी केंद्र एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र का गैर-साझाकृत पृथक एवं स्वतंत्र ईपीएबीएक्स होगा, लेकिन उनकी साझा प्रचालक स्थिति हो सकती है।

3. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय में सिर्फ एक ही कॉल को प्रचालक तक भेजा जा सकता है, चाहे यह घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल हो।

4. घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच किसी वॉइस परियात का प्रवाह नहीं होगा तथा/यह इससे प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का बाईपास नहीं होगा।

5. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम लॉग के साथ छेड़-छाड़ नहीं किया गया है तथा सिस्टम लॉग को कम-से-कम छः महीनों के लिए संरक्षित किया जाता है। प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इन सिस्टम लॉग का मांग कर सके तथा साइट पर उनकी निरीक्षण कर सके।

579

(ख) **विकल्प-2**

(अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू ओएसपी केंद्रों के द्वारा तार्किक विभाजन वाले साझा ईपीएबीएक्स का साझेदारी करना)

1. घरेलू ओएसपी के साथ अंतरराष्ट्रीय ओएसपी की अंतर्संपकता की अनुमति नहीं है।

2. कंपनी उपस्कर विक्रेताओं से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि सॉफ्टवेयर घरेलू ओएसपी एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के लिए दो पृथक एवं स्वतंत्र परिवेशों में साझा अवसंरचना का तार्किक विभाजन करने के लिए सक्षम है।

3. कंपनी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों की गतिविधियों के बीच पूर्ण तार्किक पृथक्करण को सुनिश्चित करेगी। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के बीच किसी वॉइस परियात का प्रवाह नहीं होगा तथा/या इससे प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का बाइपास नहीं होगा।

4. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम लॉग हस्तक्षेप-सह है तथा सिस्टम लॉग को कम-से-कम छः महीनों के लिए संरक्षित किया जाता है। प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इन सिस्टम लॉग की मांग कर सके तथा साइट पर इनकी निरीक्षण कर सके।

5. **घर से कार्य करना**

विस्तारित एजेंट अवस्थिति (घर से कार्य करना) की अवधारणा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जा सकती है:-

(i) ओएसी प्रचालक करार के साथ 5 करोड रू. की प्रतिभूति जमा करेगा, जिसमें यह परिकल्पित होगा कि गृह एजेंट के अनन्य उपयोग, ओएसपी द्वारा धारित सभी उत्तरदायित्व इत्यादि जैसे कतिपय दायित्वों को पूरा किया जाए।

(ii) गृह पर एजेंट को कॉल एजेंट की विस्तारित एजेंट अवस्थिति के रूप में समझा जाएगा तथा अंतर्संपर्कता की अनुमति प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं व्यवस्थित(सुरक्षित) वीजीएन के माध्यम से होगी, जिसकी पूर्व-निर्धारित अवस्थितियां जैसे एजेंटों का गृह एवं ओएसपी केंद्र जैसी वीपीएन साइटें होंगी। पीपीवीपीएन के अतिरिक्त, ओएसपी अपनी स्वयं की सुरक्षा तंत्र जैसे प्रमाणीकरण, प्राधिकरण एवं लेखाकरण का उपयोग कर सकता है। गृह सुविधा से ऐसा कार्य ओएसपी केंद्र के एसएसए एवं समीपवर्ती एसएसए तक सीमित होगा।

(iii) प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे प्रतिष्ठानों के आवधिक/औचक निरीक्षण कराएं।

अध्याय- V

सुरक्षा संबंधी शर्तें

1. निरीक्षण का अधिकार

(i) प्राधिकारी अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त स्थलों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और विशेष रूप से किन्तु जो इस तक ही सीमित नहीं होंगे, लीज लाइनों, जक्शनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, सेमीकडंक्टरों की मेमोरी, चुबम्कीय और ऑप्टिकल किस्मों, वायर्ड या बेतार विकल्पों, वितरण ढांचों तक अभिगम करने और इनपुट/आउटपुट यन्त्रों/टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ सम्पर्क स्थापित करने सहित निष्पादन संबंधी परीक्षण संचालित करने का अधिकार होगा। ओएसपी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जैसाकि प्राधिकारी या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा मांग की जाए। सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण किया जाएगा, नोटिस उन स्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिससे निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।

(ii) यह पता लगाने के लिए कि क्या ओएसपी ने पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर या तो स्वेच्छा से या शिकायत प्राप्त होने पर कोई भी जांच की जा सकती है और ओएसपी ऐसी जांच में बिना किसी व्यवधान के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

2. ओएसपी को कतिपय कार्यकलापों के लिए निषेध करना :

(i) ओएसपी इस पंजीकरण के आधार पर ऐसी अन्य कोई सेवा प्रदान करने का कार्य नहीं करेगा जिनके लिए पृथक लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता है।

(ii) ओएसपी देश के स्थापित कानूनों के अनुरूप नेटवर्क पर किसी भी रूप से आपतिजनक, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय-वस्तु, संदेश या संचार जो कॉपीराइट या बैद्धिक सम्पदा इत्यादि का उल्लंघन करता हो, पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। जैसे ही प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघनों की सूचना दी जाती है, ओएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नेटवर्क पर ऐसी सामग्री का वहन तत्काल रोका जाए।

3. सुरक्षा संबंधी शर्तें

(i) ओएसपी प्राधिकारी द्वारा प्रधिकृत व्यक्ति को मांग पर तकनीकी छानबीन और निरीक्षण के लिए, जो दृश्य निरीक्षण या प्रचालन निरीक्षण हो सकता है, अपने उपस्करों पर पूर्ण अभिगम उपलब्ध कराएगा।

(ii) ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी उपस्कर संस्थापनाओं से सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है और ये किसी संविधि, नियम या विनियम और लोक नीति के विरूद्ध नहीं हैं।

(iii) ओएसपी को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो, विशिट अवधि में प्रणाली द्वारा निपटाई गई सभी विशिट कॉलों का कॉल डाटा रिकार्ड उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

अध्याय - IV

विविध

1. सामान्य

(1) ओएसपी उन सभी शर्तों का अनुपालन करेगा जो प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाई जाएंगी।

(2) ओएसपी अपने कर्मचारियों सहित किसी के भी द्वारा उपर्युक्त नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा। ओएसपी दी गई सूचना की सत्यता के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) प्राधिकारी को पंजीकरण को रद्द करने सहित किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए समुचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

2. विवाचन

(1) इस पंजीकरण के तहत अथवा इसके संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद, उस मामले को छोड़कर जिसके निर्णय का इस पंजीकरण के तहत अन्यत्र विशिट रूप से प्रावधान किया गया है, उत्पन्न हो जाने की स्थिति में उसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त और नामित एकमात्र माध्यस्थम को भेजा जाएगा और जिसे इसके बाद "माध्यस्थम अधिकरण" कहा जाएगा जो उपर्युक्त विवाद के समाधान के लिए सुविवेचित निर्णय देगा।

(2) माध्यस्थम की कार्रवाई का स्थान नई दिल्ली होगा या माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्धारित भारत में कोई भी स्थान हो सकता है।

(3) भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के उपबंधों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों या समय-समय पर इसमें किए गए किसी प्रकार के संशोधनों अथवा पुनःअधिनियम के अनुसार माध्यस्थम की कारवाई की जाएगी।